(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम विक्रम सैनी पुत्र महेश कुमार

किस्म मुकदमा FSSAR नं. 46 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एव नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू	
21.09.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अधिवक्ता अनावेदक की बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसके मुव्वकिल ने स्वदेशी केन्टीन, के नाम से अशोक नगर बाईपास, बगड़, झुन्झुनू में केन्टीन कर रखी है। जहां वह गांवो से दूध एकत्रित कर बेचान करता है। अनावेदक गांवों से प्राप्त दूध में अपने स्तर पर बिना कोई मिलावट किये बेचता है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1689/एक्ट/2022/1687 दिनांक 29.04.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ दूध सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) The sample is also food containing extraneous matter (Foreign fat) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी केन्टीन स्वदेशी केन्टीन पर दूध का बेचान करता है। तथा केन्टीन मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ दूध के सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) The sample is also food containing extraneous matter (Foreign fat) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री विक्रम सैनी पुत्र श्री महेश कुमार मालिक स्वदेशी केन्टीन, अशोक नगर बाईपास, बगड़,, झुन्झुनू को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा [illegible](1)(j) का दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 1000/– एक हजार रु[illegible]/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य [illegible] में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर [illegible] की एक प्रति इस [illegible]यालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली [illegible]ल शुमार होकर दर्ज नंबर कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:26:11 IST
Reason: SelfAttested